राजस्थान सरकार

कार्यालय निदेशक, पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग, राजस्थान, जयपुर

(फोन नं. 0141–2820360, ई मेल, dirarchraj@gmail.com)

क्रमांक–पु.सं./तक./स्मा./एक्ट(7)/2020/5048 दिनांकः– 16/6/2020

उप मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक,
चिडियाघर, जयपुर।

विषयः– आमेर महल में पर्यटकों की सुविधार्थ संचालित हाथी सवारी के संबंध में।

संदर्भः– अधीक्षक, राजकीय संग्रहालय व महल, आमेर का पत्रांक 899 दिनांक 18.05.2020

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि अधीक्षक, आमेर महल द्वारा अवगत कराया गया है कि खुशबु गुप्ता द्वारा प्रेषित ई–मेल जो माननीय मंत्री श्री बी.डी. कल्ला जी को संबोधित है में निवेदन किया गया है कि विभाग के संरक्षित स्मारक आमेर महल में हाथी संचालन के लिए काम में आने वाले अनके हाथी टीबी रोग से पीडित है। खुशबु गुप्ता द्वारा यह भी अवगत करवाया है कि टीबी संक्रमित हाथियो से लगातार हाथी सवारी जैसी गतिविधियॉ जारी रखने से उनके सम्पर्क में आने वाले पर्यटकों, देखभाल कर्ताओ व स्टाफ को भी टीबी संक्रमण होने का खतरा है। क्योकि टीबी का संक्रमण हाथियों से मनुष्यों में स्थानातंरित हो सकता है। खुशबु गुप्ता द्वारा जनता एवं हाथियों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर आमेर किले में हाथियों के इस्तेमाल पर रोक लगाने की मॉग की है। अतः निवेदन है कि आमेर किले में संचालित हाथी सवारी में इस्तेमाल किये जा रहे हाथियो की टीबी की जॉच कर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का श्रम करावें।

16/6

(प्रकाश चन्द्र शर्मा)
निदेशक

क्रमांक–पु.सं./तक./स्मा./एक्ट(7)/2020/5049–5050 दिनांकः– 16/6/2020

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. अधीक्षक, राजकीय संग्रहालय व महल, आमेर को उनके उक्त संदर्भित पत्र के क्रम में।
2. खुशबु गुप्ता (physhloogy@petaindia.org)

16/6

निदेशक